1 :– चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का नई दिल्ली में आयोजन

इस पहल के उद्देश्य :– एससीओ सदस्य देशों के बीच

1.स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने
2.नवाचार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने
3. रोजगार सृजन को बढ़ावा देने
4. युवा प्रतिभाओं को नवीन समाधान विकसित करने के लिए केंद्रित करना।

सभी सदस्य देश स्टार्टअप और इनोवेशन (एसडब्ल्यूजी) के लिए 16 सितंबर, 2022 को समरकंद, (उज्बेकिस्तान) में आयोजित एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में विशेष कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए थे।

अर्थव्यवस्था को आगे बढाने और उसमें विविधता लाने के बारे में नवाचार और उद्यमिता के महत्व को देखते हुए, भारत ने एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक नया स्तंभ बनाने के लिए 2020 में इस पहल का प्रस्ताव किया था। एसडब्ल्यूजी को एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से बनाया गया था, ताकि इससे न केवल स्टार्टअप इकोसिस् टम को लाभ पहुंचे, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास भी तेज हो।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन है। इसके गठन की घोषणा जून 2001 में शंघाई (चीन) में की गई । संस्थापक सदस्य :– कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज़ गणराज्य, उज़्बेकिस्तान गणराज्य, रूसी संघ और ताजिकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई । इसका विस्तार जून 2017 में अस्ताना में हुई सम्मेलन में किया गया जिसमे भारत गणराज्य और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

एससीओ के वर्तमान सदस्य देश :–चीन,भारत,कजाखस्तान,किर्गिज़स्तान,रूस,पाकिस्तान,तजाकिस्तान,उज़्बेकिस्तानऔर ईरान (उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के 2022 शिखर सम्मेलन में स्थायी सदस्य देशों में जोड़ा गया) । इसमें 3 पर्यवेक्षक राज्य (पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के करीब)
भी है जो इस प्रकार हैअफ़ग़ानिस्तान,बेलोरूस और मंगोलिया। साथ ही 6 संवाद भागीदार भी है आर्मीनिया, आज़रबाइजान,कंबोडिया,नेपाल,श्रीलंका और टर्की

एससीओ के मुख्य लक्ष्य –

1.सदस्य राष्ट्रों के मध्य विश्वास को बढ़ाना ।
2. सदस्य राष्ट्रों के मध्य राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और संस्कृति , अनुसंधान, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन,और रक्षा में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।

एससीओ में वैश्विक आबादी का 40%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% और दुनिया की 22% भूमि शामिल है।

2 :– सिज़ोफ्रेनिया

चर्चा के क्यों :– हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसके अनुसार हर 100 में से एक व्यक्ति के अंदर सिजोफ्रेनिया के लक्षण पाए जाते हैं

सिज़ोफ्रेनिया क्या है :– एक दीर्घकालिक, गंभीर मानसिक विकार है

क्या करता है :– व्यक्ति के सोचने, कार्य करने, भावनाओं को व्यक्त करने, वास्तविकता को समझने और दूसरों से संबंधित होने के तरीके को प्रभावित करता है। यह अधिकतर उत्पादक आयु वर्ग के युवा वयस्कों को प्रभावित करता है । प्रत्येक 100 लोगों में से एक को सिज़ोफ्रेनिया का अनुभव होता है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस स्थिति के विकसित होने की संभावना दोगुनी होती है ।

सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण:

1.सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं , लेकिन वे आम तौर पर तीन मुख्य श्रेणियों में आते हैं: मनोवैज्ञानिक, नकारात्मक और संज्ञानात्मक।
2.मनोवैज्ञानिक लक्षणों में मतिभ्रम, भ्रम, विचार विकार, गति विकार शामिल हैं ।
3.नकारात्मक लक्षणों में प्रेरणा की हानि, दैनिक गतिविधियों में रुचि या आनंद की हानि, सामाजिक जीवन से वापसी, भावनाओं को दिखाने में कठिनाई और सामान्य रूप से कार्य करने में कठिनाई शामिल है।
4.संज्ञानात्मक लक्षणों में ध्यान, एकाग्रता और स्मृति में समस्याएं शामिल हैं।

इलाज:

सिज़ोफ्रेनिया का कोई इलाज नहीं है, बीमारी के तीव्र चरण में मौजूद मनोवैज्ञानिक लक्षणों को कम करने में विभिन्न प्रकार की एंटीसाइकोटिक दवाएं प्रभावी होती हैं ।
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या सहायक मनोचिकित्सा जैसे मनोवैज्ञानिक उपचार लक्षणों को कम कर सकते हैं और कार्य को बढ़ा सकते हैं।

3 :– नीलगिरी के जंगल में भड़की आग

चर्चा में क्यों :– भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी के अंर्तगत कुन्नूर वन क्षेत्र की जंगल में आग भड़क गई है ।

जंगल की आग :–

जंगल में अनियंत्रित होकर फैलने वाली आग को जंगली की आग (Forest Fire) या वनाग्नी कहते है। वनाग्नी के रास्ते में जो भी जीव या जंतु आते हैं सब जलकर राख हो जाते है जैसे :– पौधे, जानवर, घास के मैदान । वनाग्नी के तीव्र तरीके से फैलने के कारण :– जंगल में चलने वाली तेज हवा के कारण आग अनियंत्रित होकर तीव्र गति से बढ़ती बड़े भाग में फैल जाती है

यह आग कई दिन, सप्ताह या महीनों तक जारी रह सकती है । अधिक समय तक जलने का कारण :– सुखी लकडियां या अन्य ज्वलनशील पदार्थ, जिनके कारण इस आग को बड़े क्षेत्र में फैलने में आसानी होती है।

जंगलों में लगने वाली आग का कारण :–

मानव गतिविधि :– जलती हुई सिगरेट या माचिस की तीली जंगल में फेंक देना। कैम्पफायर या मलबा जलाने के कारण। बिजली गिरन के कारण या घर्षण के कारण।

इस आग को बुझाने के लिए भारतीय वायु सेना की मदद ली जा रही है और राज्य वन विभाग भी अपने स्तर पर कार्य कर रहा है । भारतीय वायु सेना आग बुझाने के लिए "बांबी बकेट" का उपयोग एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर से कर रही है।

जंगल की आग के प्रभाव :–

1.वन उत्पादन पर निर्भर परिवार और समुदाय के लिए भोजन, चारे और ईंधन की कमी ।
2.अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है।
3.आग से छोटी झाड़ियों , घास और पेड़ जल नष्ट हो जाते है, जिससे बारिश से भूस्खलन और मिट्टी के कटाव का खतरा बढ़ जाता है।
4.पेड़ों का नुकसान होता है जिससे जलवायु परिस्थितियों को बाधित होता है, कार्बन श्रृंखला टूटने का खतरा ।
5. आग से जानवरों की मौत हो जाती है, तो इनके आवास नष्ट हो जाते है ।
6.वातावरण प्रदुषित होता है:– आग से अधिक मात्रा में धुंआ और जहरीली गैस के कारण ।
7.आग से जंगल में पाई जान वाली वनस्पति और जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है।

4 :– पात्रे निषेचन/इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In Vitro Fertilization-IVF)

चर्चा में क्यों :– हाल ही में सिद्धू मूसे वाला के माता-पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसमें कहा जा रहा है IVF एक्ट के प्रावधानों का यहां पर उल्लंघन किया गया है

पात्रे निषेचन/इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In Vitro Fertilization-IVF) :– इसमें महिला के शरीर में होने वाली निषेचन की प्रक्रिया (महिला के अण्डे व पुरूष के शुक्राणु का मिलन) को बाहर लैब में किया जाता है।

IVF निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है इसके तहत किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इस प्रकार का निषेचन शरीर के अंदर न हो कर बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी [Assisted Reproductive Technology- ART] (विनियमन) अधिनियम, 2021 :–

महिलाओं के लिये अधिकतम 50 वर्ष और पुरुषों के लिए अधिकतम 55 वर्ष की आयु । सिद्धू मूसेवाला के पिता और माता क्रमशः 60 और 58 वर्ष के

क्यों है चिंता का विषय :–

1. भारतीय में महिला की औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष तो पुरुष की 69 वर्ष है
2. बुजुर्ग दंपति से पैदा होने वाले बच्चों के भविष्य पर चिंता ।
3.वृद्धावस्था में गर्भधारण से - उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ऐंठन, रक्तस्राव और हृदय संबंधी अन्य समस्याएँ उत्पन्य होती है।
4. वृद्ध महिला को गर्भ में नौ महीने तक भ्रूण को विकसित करने के लिये हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है
5.इतनी उम्र की महिला स्तनपान भी नहीं करा सकती

अधिनियम में कुछ अन्य प्रावधान:–

1.दाताओं के लिये पात्रता शर्तें: – अंडाणु प्रदान करने वाली महिला की आयु 23-35 वर्ष के मध्य तो सीमेन प्रदान करने वाले पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
2.महिला अपने जीवनकाल में केवल एक बार अंडाणु दान कर सकती है तथा दान किये जाने वाले अंडाणुओं की अधिकतम संख्या 7 निर्धारित की गई है
3.किसी भी बैंक के द्वारा एकल दाता के युग्मक को एक से अधिक कमीशनिंग पार्टी (युगल अथवा आकांक्षी एकल महिला) को नहीं दे सकता है।

संबद्ध शर्तें:

ART उपचार केवल कमीशनिंग पार्टियों और दाता की लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है। कमीशनिंग पार्टी को दाताओं की सुरक्षा के लिये बीमा संबंधी प्रबंधन करना आवश्यक होगा ।

ART से पैदा हुए बच्चे के अधिकार:

इस तकनीक से पैदा हुए बच्चे को दंपत्ति के जैविक बच्चे के तरह ही माना जाएगा साथ ही प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चे के समान सभी अधिकारों, मूल अधिकार एवं विशेषाधिकारों के प्राप्त होंगे। दाता (Donor) का बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा।